समक्ष न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केंप सागर

निगरानी – 4346/2018/सागर/भू.रा.

गुड्डा +2

गुड्डा, गनेशा, संुदर (पिता आसई अहिरवार) नि. गुन्जौरा तह. रहली जि० सागर ....आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता

।। विरूद्व ।।

संतू (संतू s/o धान्धू अहिरवार) नि० गुन्जौरा तह.रहली जि०सागर ....अनावेदक / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता

वास्ते सीमांकन निरस्त करने बावत्–

पुनरीक्षणकर्ता गण निम्न लिखित प्रार्थना करता है:–

1. यह कि, अनावेदक के आवेदन के आधार पर तहसीलदार रहली के रा.प्र.क्रमांक 71अ / 12 वर्ष 16–17 में दिनांक 21 / 06 / 2017 को मौजा गुन्जौरा की खसरा नंबर 104 / 8 के रकवा 1.77हे0 भूमि का सीमांकन किये जाने और सीमांकन प्रतिवेदन जारी किये जाने के विरूद्व पुनरीक्षणकर्तागण, विधि के अन्य आधारों के अलावा निम्न आधारों पर यह पुनरीक्षण प्रस्तुत करते है।

तथ्य

2. यह कि, अनावेदक को मौजा गुन्जौरा खसरा नंबर 104 / 8 की भूमि का पट्टा प्राप्त हुआ था। किन्तु अनावेदक का कभी भी इस भूमि पर कब्जा न तो पटटे के पूर्व रहा और न ही पटटे के पश्चात और न ही वर्तमान में है।
3. यह कि, पुनरीक्षणकर्ता की पुश्तैनी भूमि मौजा गुन्जौरा में है, जिसका चकबंदी का पटटा है, और उस भूमि पर आवेदक / पुनरीक्षणकर्ता गण के पूर्वज पूर्व से कृषि कार्य करते आ रहे है, तथा उसी जगह पर आवेदक / पुनरीक्षणकर्तागण कृषि कार्य कर रहे है।
4. यह कि, जिस भूमि पर पुनरीक्षणकर्तागण कृषि कर रहे है, उसका चकबंदी पट्टा है।

(21)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4346/2018/सागर/भू.रा. गुड्डा विरूद्ध संतू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार रहली जिला सागर प्रकरण क्रमांक 71/अ-12/2016-17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 21-06-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अत: प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । 3.1.19 (आर.के. जैन) सदस्य	